

कार्यालय ग्राम पंचायत आमतली पंचायत समिति उनियारा जिला टोंक

क्रमांक: 85

दिनांक: 4/05/2026

ई-निविदा सूचना संख्या 02 (वित्तीय वर्ष 2026-27)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत आमतली पंचायत समिति उनियारा के अधीनस्थ समस्त क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में घर-घर एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, गांवों की सड़कों एवं नाली, नाले की सफाई तथा सरकारी सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई, मृत पशुओं के निस्तारण इत्यादि कार्य हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मों को वार्षिक दर निविदा हेतु ई-निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा फॉर्म/शर्तें ऑनलाईन/कार्यालय में उपलब्ध हैं।

क. सं.	बोली का विवरण	अनुमानित लागत राशि (रुपये में)	बोली प्रतिभूति राशि (रुपये में) (निविदा राशि का 2 प्रतिशत)	बोली प्रपत्र शुल्क (रुपये में)	M.D RISL शुल्क (रुपये में)	बोली प्रपत्र डाउनलोड एवं अपलोड शुरू करने की दिनांक व समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	बोली खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम पंचायत के समस्त क्षेत्रों में घर-घर (आवासीय एवं व्यावसायिक) से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सड़क, नाली, नाला सफाई, तथा सरकारी सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई एवं मृत पशु निस्तारण वार्षिक सहित कार्य	14 लाख	28000	1000	500	6-5-26 9.30 AM से 18-05-2026 06.00 PM	19-5-26 1.00 PM तक	19-5-26 3.00 PM

- निविदा प्रपत्र कार्यालय ग्राम पंचायत आमतली पंचायत समिति उनियारा जिला टोंक से व्यक्तिशः अथवा <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि के मूल डी.डी./बैंकर चेक की प्रति ऑनलाईन तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर अपलोड करनी होगी। साथ ही निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि के मूल डी.डी./बैंकर चेक भौतिक रूप से निविदा खोलने की दिनांक 19-5-2026 को 3:00 PM तक कार्यालय ग्राम पंचायत में जमा करानी होगी।
- निविदा आमंत्रण की प्रस्तुत सूचना मय बोली दस्तावेज ग्राम पंचायत आमतली पंचायत समिति उनियारा जिला टोंक के कार्यालय से व्यक्तिशः अथवा राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र शुल्क व अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चेक प्रशासक ग्राम पंचायत आमतली के नाम बनाना होगा एवं प्रोसेसिंग शुल्क का डी.डी./बैंकर चेक M.D RISL, Jaipur के नाम देय होगा। निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं प्रतिभूति राशि के डी.डी./बैंकर चेक एवं सभी स्टाम्प शपथ पत्रों को भौतिक रूप से ग्राम पंचायत कार्यालय/अटल सेवा केन्द्र में जमा कराने वाले निविदादाताओं की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी।
- ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किये गये निविदा बॉक्स में उपलब्ध तकनीकी/वित्तीय निविदा दिनांक को दोपहर 1:30 PM तक कार्यालय पंचायत समिति उनियारा मु0 अलीगढ़ सभागार में ग्राम पंचायत त्रितीय उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी व तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी। बोलीदाता, सर्वेदक निविदा खोले जाने के निर्धारित दिनांक व समय एवं स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
- यह निविदा (तार्य अवधि 31.03.2027) तक कार्य सम्पादन के लिए है।
- किसी निविदा को स्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत आमतली
पंचायत समिति उनियारा

प्रशासक
ग्राम पंचायत आमतली

कार्यालय ग्राम पंचायत (.....) पंचायत समिति, उनियारा, मु0 अलीगढ़ जिला टोंक
तकनीकी निविदा प्रपत्र (निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज)

1	निविदा सूचना संख्या 02/2026-27	
2	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत के समस्त क्षेत्र में घर-घर (आवसीय एवं व्यवसायिक) में कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सड़क एवं नाली, नाली सफाई, तथा सरकारी सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई एवं मृत पशु निस्तारण वार्षिक सहित कार्य
3	निविदादाता फर्म का नाम, पता मय दूरभाष/मोबाइल नं.	
4	निविदा अनुमानित लागत	राशि रु लाख (निविदा सूचना अनुसार)
5	निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण/डी.डी. नं. (प्रशासक ग्राम पंचायत के नाम देय)	राशि रु डी.डी. नं. दिनांक
6	प्रोसेसिंग फीस का विवरण (MD RISL, Jaipur के नाम देय)	राशि रु डी.डी. नं. दिनांक
7	अमानत राशि का विवरण/डी.डी. नं. (प्रशासक ग्राम पंचायत के नाम देय)	राशि रु डी.डी. नं. दिनांक
8	फर्म का रजिस्ट्रेशन वर्ष व नम्बर (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)	
9	फर्म का पेन न. (प्रति संलग्न करें)	
10	फर्म का जीएसटी न. (प्रति संलग्न करें)	
11	बैंक खाते का पूर्ण विवरण (बैंक पासबुक/केन्सिल चैक की प्रति)	
12	फर्म के पास उपलब्ध कचरा संग्रहण वाहनों का विवरण 1. वाहन स्वयं का होने पर आर.सी. की प्रति संलग्न करें। 2. वाहन अन्य का होने पर उपयोग हेतु वाहन दिये जाने का सहमति पत्र संलग्न करें।	
13	फर्म का टर्नओवर (वित्तीय वर्ष, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के योग का औसत निविदा राशि के बराबर (न्यूनतम) होना अनिवार्य है) विवरण संलग्न करें।	
14	फर्म का कार्य अनुभव (सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्था में नाली/शौचालय/सीवरज टैंक सफाई कार्य) का विवरण, (यदि हो तो)	
15	100 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र (संलग्न निर्धारित प्रपत्र में)	
16	चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र (संलग्न करें)	
17	निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा (संलग्न करें)	
18	एनेक्सर A, B, C (संलग्न करें)	

राजस्थान में लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में पंजीकृत फर्मों को वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के प्रावधान अनुसार 0.5 प्रतिशत बोली प्रतिभूति का डी.डी./बैंकर्स चैक संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा (बोली प्रतिभूति में छूट प्राप्त करने हेतु सर्वेदक को आरटीपीपी नियम के प्रपत्र-B संलग्न अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)

कार्यालय ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति उनियारा जिला टोंक द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या..... दिनांक..... हेतु मेरे/फर्म द्वारा दी गई उक्त जानकारी सत्य है तथा उक्त निविदा की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं. स. उनियारा (टोंक)

हस्ताक्षर निविदा दाता

कार्यालय, ग्राम पंचायत आमली पंचायत समिति उनियारा जिला टोंक

उपापन की विषय-वस्तु का विवरण

कार्य का नाम :-ग्राम पंचायत के समस्त क्षेत्र में घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सड़क एवं नाली, नाला सफाई, तथा सरकारी सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई एवं मृत पशु निस्तारण सहित की वार्षिक दर संविदा

ग्राम पंचायत :-.....

अनुमानित लागत राशि :-...14.00 लाख

क्र. सं.	कार्य का विवरण	इकाई	बीएसआर दर (रु.)
1.	घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) से गीला एवं सूखा कचरा पृथक् पृथक् संग्रहण करना एवं निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना। जब कचरा संग्रहण वाहन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावे तथा वाहन हेतु ड्राइवर मय PoL, संग्रहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं कचरा संग्रहण हेतु श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध करवा कर संग्रहित कचरे को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पहुंचाये जाने का कार्य।	प्रति घर प्रति दिन	0.88
2.	घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) से गीला एवं सूखा कचरा पृथक् पृथक् संग्रहण करना एवं निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना। जब कचरा संग्रहण वाहन तथा वाहन हेतु ड्राइवर मय PoL, संग्रहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं कचरा संग्रहण हेतु श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध करवा कर संग्रहित कचरे को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पहुंचाये जाने का कार्य।	प्रति घर प्रति दिन	2.18
3.	समस्त संग्रहित कचरे से Degradable & Non-Degradable Waste का श्रमिकों से पृथक्करण कार्य, पृथक्करण हेतु उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कचरा पृथक्करण करना एवं पृथक्करण (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित के अनुसार संवेदक से प्लास्टिक कचरे का निस्तारण) में पाये गये प्लास्टिक व अन्य अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण/निपटान कार्य सम्मिलित है।	प्रति घर प्रति दिन	0.45
4.	सड़क/बाजार/मुख्य चौक में झाड़ू एवं सफाई कार्य, सफाई कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक व उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना तथा कचरे को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	वर्ग मीटर	0.10
5.	नाला/नाली सफाई कार्य, आवश्यक श्रमिक, मशीन व उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	घन मीटर	57.69
6.	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई का कार्य, कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक उपकरण, सीट, फर्श, टाईल्स सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य।	प्रति	49.08
7.	मृतक पशुओं को उताना तथा आवादी से दूर नियमानुसार वैज्ञानिक निस्तारण करना।	प्रति	2500

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत आमली
पं. स. उनियारा (टोंक)

प्रशासक
ग्राम पंचायत आमली

कार्यालय, ग्राम पंचायत, आमली पंचायत, समिति उनियारा जिला, टोंक

क्रमांक:-

दिनांक:-

वित्तीय निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम :- ग्राम पंचायत के समस्त क्षेत्र में घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सड़क एवं नाली, नाला सफाई, तथा सरकारी सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई एवं मृत पशु निस्तारण वार्षिक सहित कार्य

फर्म का नाम

अनुमानित लागत राशि :- 14.80 लाख

क्र. सं.	कार्य का विवरण	इकाई	बीएसआर दर (रु.)
1.	घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) : से गीला एवं सूखा कचरा पृथक् पृथक् संग्रहण करना एवं निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना। जब कचरा संग्रहण वाहन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावे तथा वाहन हेतु ड्राईवर मय PoL, संग्रहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं कचरा संग्रहण हेतु श्रमिक आदि संहित कचरे को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पहुंचाये जाने का कार्य।	प्रति घर प्रति दिन	0.88
2.	घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) : से गीला एवं सूखा कचरा पृथक् पृथक् संग्रहण करना एवं निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना। जब कचरा संग्रहण वाहन तथा वाहन हेतु ड्राईवर मय PoL, संग्रहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं कचरा संग्रहण हेतु श्रमिक आदि संहित कचरे को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पहुंचाये जाने का कार्य।	प्रति घर प्रति दिन	2.18
3.	समस्त संहित कचरे से Degradable & Non-Degradable Waste का श्रमिकों से पृथक्करण कार्य, पृथक्करण हेतु उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संहित कचरे को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पहुंचाये जाने का कार्य।	प्रति घर प्रति दिन	0.45
4.	सड़क/बाजार/मुख्य चौक से सड़क एवं सफाई कार्य, सफाई कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक व उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संहित कचरे को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	वर्ग मीटर	0.10
5.	नाला/नाली सफाई कार्य, आवश्यक श्रमिक, मशीन व उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संहित कचरे को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	घन मीटर	57.69
6.	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई का कार्य, कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक उपकरण, सीट, फर्श, टाईल्स सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य।	प्रति	49.08
7.	मृतक पशुओं को उठाना तथा आबादी से दूर नियमानुसार वैज्ञानिक निस्तारण करना।	प्रति	2500

मैं/मेरी फर्म/हमारी फर्म उक्तानुसार निविदा राशि से प्रतिशत (कम/ज्यादा) पर निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य करना स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं. स. उनियारा (टोंक)

ह0 निविदादाता
नाम मय मोहर

निविदा शर्तें

1. निविदाएं केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी। ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश—
 - (अ) इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों को <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।
 - (ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदा दाताओं को <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने इलेक्ट्रॉनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट पी0सी0ए0 द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको पुनः लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - (स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - (द) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।
 - (य) कोई भी निविदा इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब/लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कार्यालय/विभाग नहीं होगा।
 - (र) निविदा के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करे।
2. निविदा सूचना के साथ संलग्न तकनीकी निविदा प्रपत्र में बिन्दू संख्या 05 से 18 में अंकित विषयों से सम्बंधित स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. संलग्न प्रत्येक दस्तावेज पर संवेदक द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
4. यदि संवेदक/संस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है तो अधिकृति प्रमाण पत्र (Resolution, Power Of Attorney) संलग्न करें।
5. यह निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में उल्लेखित नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाइन आदेश, निर्देशों के अधीन रहने।
6. एम.एस.एक्ट, 2013 की पालना एवं सुरक्षा उपायों तथा किसी भी प्रकार के मुआवजों का भुगतान स्वीकृत बोलीदाता द्वारा किया जावेगा।
7. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. श्रम अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं होने पर उनके विरुद्ध श्रमिक द्वारा श्रम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदादाता स्वयं के खर्च से वाद का निस्तारण करायेगा। यदि अनुबन्ध अवधि में लगाये गये श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना हो तो उससे होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिए निविदादाता पूर्ण जिम्मेदार होगा। विभाग की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
10. बोलीदाता अपनी सविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
11. जिस बोलीदाता को बोली स्वीकार की जायेगी, वह कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस में कार्य प्रारम्भ करेगा।

ग्राम विकास अधिकारी
पंचायत समिति

12. मूल्यांकन की कसौटी - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाईड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वितीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।
13. बोलियों का अपवर्जन - अधिनियम की धारा-25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
14. सफल निविदा दाता द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि प्रशासक ग्राम पंचायत आमली के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जमा कराने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने या उपापन प्रक्रिया के निरस्तिकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।
15. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :-
 (अ.) बोली आमंत्रण में अंतिम सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक प्रशासक ग्राम पंचायत आमली के नाम पर जमा करानी होगी एवं नियमानुसार 500/- नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वितीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
 (ब.) सफल बोली दाता द्वारा बोली प्रतिभूति की राशि को कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि में समायोजन की जा सकती है।
 (स.) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
16. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा :-
 (अ.) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें सुपान्तरण करता है।
 (ब.) जब बोलीदाता निर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादन नहीं करता है।
 (स.) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
 (द.) जब सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करता।
 (य.) जब निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 (र.) जब बोलीदाता कार्य/सम्पूर्ण सेवा अदायगी सन्तोषजनक आपूर्ति करने में असफल रहा हो।
 (ल.) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
17. संवेदक द्वारा कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं करने पर उपापन संस्था/ग्राम पंचायत द्वारा गतिविधिधार/दैनिक राशि में कटौती की जा सकेगी।
18. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :- सेवादाता फर्म द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार यदि कार्य/सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो प्रतिदिन - रु. 1500/- की शास्ति लगाई जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा अनुबंध राशि से ज्यादा नहीं होगी।
19. सफाई के संबंध में प्राप्त शिकायत (Online/Offline) का निस्तारण संबंधित फर्म को 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से करना होगा अन्यथा प्रतिदिन रु. 500 का जुर्माना फर्म पर लगाया जा सकेगा।
20. सफल निविदादाता को स्वच्छता कार्य हेतु ऐसे श्रमिक/मानव संसाधन जो परम्परागत/पूर्व में सफाई कार्य के अनुभवी व्यक्तियों या इनके समूह को प्राथमिकता के अनुसार नियोजित करना होगा।
21. भुगतान :- सामान्य वितीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
22. कार्य का भुगतान मासिक आधार पर निम्न बिन्दुओं की पालना अनुसार किया जायेगा:-

ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत आमली
 पं. स. सनियारा (टोंक)

- (अ) सफाई कार्य ग्राम पंचायत के दैनिक लॉकबुक रजिस्टर में प्रविष्टि/रिपोर्ट/फोटो एवं विडियो
- (ब) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट
- (स) ग्राम पंचायत में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति की रिपोर्ट
- (द) स्वच्छता कार्यों की ऑनलाईन पोर्टल लागू किये जाने पर, ऐप की रिपोर्ट
23. कार्य का सत्यापन किये जाने एवं भुगतान की अनुशंसा उपरांत भुगतान मासिक आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
24. स्वीकृत बोलीदाता को ऑनलाईन ट्रेकिंग सिस्टम/पोर्टल लागू किये जाने पर वाहनों में GPS स्थापित करना होगा।
25. संवेदक द्वारा किये गये सप्ताह दैनिक सफाई कार्य का निर्धारित लॉगबुक ग्रामवार निर्धारित पृथक-पृथक रजिस्टर (ग्राम पंचायत में संधारित) में दैनिक आधार पर इन्द्राज कराने का दायित्व संवेदक का होगा, इसी आधार पर भुगतान किया जायेगा।
26. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा सरकारी परिसरों से कचरा संग्रहण एवं आर.आर.सी. पर कचरे का पृथक्कीकरण, बाजार/चौक/रोड़/सरकारी परिसरों पर झाड़ू/सफाई एवं नाली, नाला सफाई तथा समस्त सरकारी सामुदायिक स्वच्छता परिसर सफाई, मृत पशुओं के निस्तारण हेतु वाहन/श्रमिक/सफाई एवं सुरक्षा उपकरण आदि उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
27. ग्रामीण क्षेत्र की सफाई में होने वाले समस्त प्रकार के व्यय संवेदक द्वारा वहन किये जायेंगे (जैसे डंडे वाली झाड़ू, फावड़े, परात, कसेया, डस्टबिन, पुशकार्ट, हेंड ग्लव्स, मास्क, सेप्टी जूते, ऑवर कोर्ट, सबल एकत्रीकरण, लिफ्टिंग, परिवहन इत्यादि के साधन का मैन्टीनेंस आदि)।
28. कचरे के निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड/आर.आर.सी. का स्थान ग्राम पंचायत द्वारा तय किया जायेगा।
29. संवेदक के पास सफाई श्रमिकों हेतु काम में लिये जाने वाले उपकरण तथा सामान अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्थिति में होने चाहिए।
30. सामुहिक/सामाजिक/धार्मिक/शादी/मांगलिक आदि समारोह एवं हाट बाजार में उत्पन्न कचरा का निस्तारण संवेदक द्वारा किया जायेगा।
31. सड़क/सार्वजनिक स्थान पर पेड़ों के पत्ते, छोटे कंकड़ पत्थर आदि की सफाई कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। बड़े पत्थर का मलबा आदि का निस्तारण संबंधित द्वारा अलग से किया जायेगा।
32. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के बाड़े/तबैले के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर सफाई संवेदक द्वारा की जायेगी।
33. राजकीय विद्यालयों के बाहर एवं कमरों के बाहर अर्थात् चारदीवारी के अन्दर के सार्वजनिक परिसर में कचरा संग्रहण कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। इसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि स्वच्छता हेतु अनुदान या अन्य कोई राशि का व्यय इस कार्य हेतु नहीं किया गया हो।
34. ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में विधालय, सरकारी परिसरों निर्धारित टॉयलेट सीट/यूरिनल आदि (पुरुषों एवं महिलाओं की अलग-अलग शौचालय सीट एवं यूरिनल, वॉश-बेसिन आदि) की प्रतिदिन सफाई करनी होगी।
35. निविदा में वर्णित कार्य का सामान्यतः समय प्रातः 5.00 से 10.00 बजे तक रहेगा तथा समय परिवर्तन आपसी बातचीत से प्रशासक/प.वि.अ. के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
36. कचरे का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण एवं निस्तारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार आर.आर.सी. पर किया जायेगा, जिसमें प्लास्टिक कचरे का निस्तारण सम्मिलित है। प्लास्टिक कचरे का निस्तारण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के अनुसार करना होगा।
37. कचरे का परिवहन ट्रैलरों में करते समय कचरा ढक कर ले जाना होगा।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत (तोंक)
पं. स. उजियारा (तोंक)

38. कार्य की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां त्रैमासिक, चतुर्मासिक अथवा अर्द्धवार्षिक आधार पर आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी की जा सकेंगी। कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकेगी।
 39. स्वच्छता कार्यों के लिए ग्रामों द्वारा प्राप्त शिकायत का निस्तारण ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी द्वारा तथा इस संबंध में अपील अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को की जा सकती है। अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।
 40. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार Procuring Entity के पास सुरक्षित रहेगा।
 41. निविदा संबंधित विवादों का न्याय क्षेत्र उनियारा जिला टोंक होगा।
 42. स्वच्छता का कार्य करने वाले स्वच्छता मित्रों हेतु सुरक्षा उपकरण/पी.पी.ई. किट उपलब्ध कराने का दायित्व संवेदक रहेगा। यदि संवेदक द्वारा उक्त उपकरण/पी.पी.ई. किट उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो स्वच्छता मित्रों हेतु सुरक्षा उपकरण/पी.पी.ई. किट ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये सकेंगे तथा राशि का पुनर्भरण संवेदक के बिल से किया जायेगा।
 43. ग्रामीण क्षेत्रों में राजर्कय भवा (पंचायत घर, आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालय, पटवार भवन एवं अन्य सरकारी परिसर) की नियमित नफाई करनी होगी।
 44. संवेदक द्वारा संग्रहित कचरा/पृथक्कीकरण के पश्चात अवशेष कचरे को खुले में नहीं जलाया जायेगा ना ही खुले में फेंका जायेगा। जलाना/फेंकने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। डम्पिंग यार्ड से आशय कचरे के पृथक्कीकरण शेड (Segregation Shed)/आर.आर.सी. (Resource Recovery Center) है।
 45. ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों, सड़क पर पेड इत्यादि टूट कर गिर जाते हैं तो उसका एवं मृत पशु का निस्तारण संवेदक द्वारा 24 घंटे में किया जायेगा। इसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
 46. ग्राम पंचायतों में वर्षा के मौसम के समय पूर्व एवं पश्चात अभियान चलाकर नाली/सड़क/सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जावेगी।
 47. सार्वजनिक स्थानों पर खेड़ी/खोड़ी/गोबर के ढेर का निस्तारण अभियान चलाकर संवेदक द्वारा किया जायेगा। जिसका अलग से भुगतान देय नहीं होगा।
 48. प्रतिदिन प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर से कचरा संग्रहण करना होगा। प्रत्येक गांव के समस्त क्षेत्र में सड़कों गलियों में प्रतिदिन झाड़ू लगाना एवं नाली साफ सफाई कार्य प्रतिदिन करना होगा। किये गये कार्य का रजिस्टर में रिकार्ड संधारण करना होगा।
 49. घर-घर कचरा संग्रहण में घरों की संख्या की गणना वास्तव में कचरा उठाये जाने वाले घरों से की जायेगी एवं जितने घरों से कचरा संग्रहण किया जायेगा उस आधार पर ही भुगतान किया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा इसका रिकार्ड रखा जायेगा एवं कचरा संग्रहण (घरों की संख्या जिनमें से कचरा उठाया गया है) को दैनिक आधार पर प्रमाणित करना होगा।
 50. संवेदक द्वारा प्रतिदिन घर-घर कचरा संग्रहण, प्रतिदिन नाली नाला सफाई, प्रतिदिन सड़क व परिसरों में झाड़ू सफाई नहीं करने पर संवेदक पर शास्ती लगाई जावेगी तथा संवेदक को बिना नोटिस के Black List किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
 51. मेरे द्वारा प्रस्तुत दूर समस्त प्रकार के करों, व्ययों, खर्चों जीएसटी सहित है।
 52. वार्षिक या मासिक अनुमानित लागत कम या ज्यादा की जा सकेगी।
- मेरे द्वारा उपर्युक्त शर्तों को अक्षरशः पढ़ व समझ लिया गया है एवं उक्त शर्तों की पालना करते हुए मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों पर आप द्वारा वांछित कार्य/सामग्री/सेवा निविदा में वर्णित स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों तथा वित्तीय नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्देशानुसार उपलब्ध कराने/कार्य करने को सहमत हूँ।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पुं. स. उनियारा (टोंक)

हस्ताक्षर निविदादाता
पता

शपथ पत्र

(100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र

निवासी तहसील जिला शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि -

1. मेरी फर्म/कम्पनी का नाम है।
2. मेरी फर्म/कम्पनी का जी0 एस0 टी0 पंजीयन संख्या है।
3. मैं इस फर्म /कम्पनी का प्रोपराइटर/ अधिकृत प्रतिनिधि हूँ।
4. मेरी फर्म/कम्पनी किसी भी सरकारी विभाग/राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्था/सरकारी निगम/प्राइवेट संस्था में दौक लिस्टेड नहीं है।
5. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा सभी प्रकार के कर समय पर संबंधित विभाग में जमा करवाये जाते हैं।
6. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार फर्म का टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2022-23 2023-24 एवं 2024-25 के योग का औसत निविदा राशि के बराबर न्यूनतम है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के चतुर्थ तिमाही की जी.एस.टी. रिटर्न जमा करवाये जाने के अधिकृत दस्तावेज हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/फर्म के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से सत्य है।

उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है। कोई भी कथन असत्य पाए जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर

शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है।

हस्ताक्षर

शपथ ग्रहिता

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं. स. सनियारा (टांक)

(TO BE ISSUED BY PRACTISING CHARTERED ACCOUNTANT ON THE LETTER HEAD)

To
Tender Inviting Authority/Block Development Officer
Panchayat Samiti-----

Date:

Dear Sir,

Sub: Certificate for participation in Tenders issued by Gram Panchayat..... /Panchayat Samiti.....

This is to certify that M/s _____ (Agency Name & Address)
are in the business of contracts execution for _____ completed years (considered upto march).
This is further certified that the above Turnover is in line with the Turnover declared by the Agency in
their Audit Report/Income Tax Returns filed under PAN No: _____

and

The above Turnover is in line with GST Returns submitted by the Agency under GSTIN No:
_____ which are verified by us.

And

This is further certified that M/s _____ (Agency Name & Address)
has filed its GSTR for the month/quarter (as applicable) for the period ending march 2025 referred as
below

S.No.	Particular	Periodicity	Date of filing
1.	GSTR 1	Qrtly/Monthly	
2.	GSTR 3B	Monthly	
3.	GSTR 4	Qrtly	

And

This is further certified that M/s _____ (Agency Name & Address) has filed its ITR for the preceding 03 (three) years are referred as below

S.No.	Particular	Periodicity	Date of filing
1.	ITR fy 2021-22	Yearly	
2.	ITR fy 2022-23	Yearly	
3.	ITR fy 2023-24	Yearly	

Also we hereby certify that the above mentioned entity has **'NO OUTSTANDING STATUTORY DUES'**
as on the date of signing of this certificate for the period ending as on 31 March

Place:

Date:

UDIN:

Chartered accountant
Membership No

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं. स. डनियारा (टोंक)

Signature with Seal



निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत (कमल)
पं. स. उनियारा (ढाँक)

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय ग्राम पंचायत आमुली पंचायत समिति उनियारा जिला टोंक

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- disclose conflict of interest, if any; and
- disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if including but not limited to:
 - have controlling partners/ shareholders in common; or
 - receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - the Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participate as Bidder, in more than one Bid; or
 - the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
 - Bidder or any of its affiliates has been hired, (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date
Place

signature of bidder
name

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत आमुली
प्र. स. उनियारा (टोंक)

कार्यालय ग्राम पंचायत आगली पंचायत समिति उनीयारा जिला टोंक

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice Inviting Bids No..... Dated I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled by/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have , my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the bidding Document, which materially affects fair competition;

Date

place

designation

Address

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत आगली
पु. स. उनीयारा (ता. २०११)
signature of bidder
name

Annexure C: Grievance Redressal during procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is
The designation and address of the Second Appellate Authority is

1 Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provision of the Act or the rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to first appellate authority, as specified in the bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceeding: Provided further that in case a procuring Entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, An appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3 If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2) or if the bidder of prospective bidder of the procuring entity, is aggrieved by the order passed by the first appellate authority the bidder or prospective bidder or the procuring entity as the case may be may file a second appeal to second Appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain case

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters namely:-

- determination of need of procurement
- provisions limiting participation of bidders in the bid process
- the decision of whether or not to enter into negotiation
- cancellation of procurement process
- applicability of the provisions of confidentiality

5 form of appeal

- An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- Every appeal may be presented to first appellate Authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filing appeal

- Free for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal

- The First Appellate authority or second appellate authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority as the case may be, shall
 - Hear all the parties to appeal present before him; and
 - Peruse or inspect documents relevant records or copies thereof relating to the matter.
- After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of the order to the parties to appeal free of cost.
- The order passed under sub clause (c) above shall also be placed on the state public procurement Portal.

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत (कमल)
सं. स. उनियारा

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012
Appeal No. Before the (First /second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address:
2. name and address of the respondent
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. if the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
Place.....
Date.....
Appellant's Signature

Date
Place
Designation
Address

signature of bidder
name
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं. स. उनियास (टोंक)